देशभर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार

▶ उत्तर से दक्षिण तक आंधी-तूफ़ान का अलर्ट

नई दिल्ली, 23 जून. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई और मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुकी है. इसका मतलब है कि दक्षिण और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से मानसून की चपेट में आ चुके हैं लेकिन उत्तर भारत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान अब भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं. गुजरात और मध्य भारत के कई हिस्सों में भी इसकी पहुंच अधूरी है. मानसून ने इस साल केरल में हल्की देरी से एंट्री ली लेकिन असली चिंता उसके बाद सामने आई जब इसकी प्रगति अचानक धीमी पड़ गई. मौसम विज्ञान में इसे मॉनसून ब्रेक कहा जाता है. इसी वजह से सैटेलाइट तस्वीरों में बादलों का फैलाव कम नजर आया और कई इलाकों में बारिश अचानक घट गई.

19 से 25 जून के बीच पूर्वोत्तर भारत - असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में व्यापक से लेकर बहुत भारी बारिश की चेतावनी है. पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश और आंधी-बिजली का अलर्ट जारी किया गया है. दक्षिण भारत में फिलहाल छिटपुट बारिश जारी है लेकिन 20 जून के बाद इसमें तेजी आ सकती है. वहीं पश्चिम में 22 जून के बाद कोंकण और गोवा में बारिश बढ़ने की उम्मीद है. दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में अभी मानसून नहीं पहुंचा है.

अन्ना हजारे का सरकार को अल्टीमेटम

मुंबई. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र सरकार सूचना का अधिकार के नियमों में किए गए गैरकानूनी संशोधनों को तुरंत वापस नहीं लेती है, तो वह पांच जुलाई से अहिल्यानगर जिले के रालेगण सिद्धि गांव में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में हजारे ने कहा कि महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम आरटीआई कानून की धार को कमजोर कर देंगे और नागरिकों को जानकारी से दूर रखेंगे.

नौवहन की स्वतंत्रता भी बहाल होगी : डोभाल

▶ होर्मुज का खुलना ऊर्जा सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम

नई दिल्ली 23 जून. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने को वैश्विक ऊर्जा प्रवाह और समुद्री क्षेत्र में स्थिरता के लिए सकारात्मक कदम बताते हुए मंगलवार को कहा कि इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और सभी देशों के लिए नौवहन की स्वतंत्रता बहाल होगी. श्री डोभाल ने आज यहां 16 वीं ब्रिक्स बैठक में सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का स्वागत किया. उन्होंने कहा , होर्मुज जलडमरूमध्य का खुलना बहुत ही स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिलेगी.

▶ दुनिया वैश्विक खतरों से घिरी हुई है

डोभाल ने कहा कि ये घटनाक्रम मौजूदा वैश्विक शासन संरचनाओं पर अभूतपूर्व दबाव डाल रहे हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि हम बहुत उथल-पुथल भरे समय में मिल रहे हैं. दुनिया सैन्य संघर्षों और जटिल सुरक्षा समस्याओं से घिरी हुई है. यह भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, आर्थिक दबावों और विघटनकारी तकनीक का सामना कर रही है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि वैश्विक खतरों का बढ़ता दायरा और उनका आपस में जुड़ाव पारंपरिक राजनयिक और संस्थागत ढांचे की सीमाओं को उजागर कर रहा है. उन्होंने कहा, किन केवल खतरे बढ़ रहे हैं, बल्कि इन संघर्षों को सुलझाने या कम करने के लिए उपकरण और संस्थागत तंत्र भी अपर्याप्त साबित हो रहे हैं.

भारत के 11 जहाजों ने होर्मुज किया पार

10 जहाज अभी भी खाड़ी क्षेत्र में : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली 23 जून.पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हुए समझौते के बाद से भारत आने वाले 11 विभिन्न टैंकरों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार किया है.

भारतीय ध्वज वाले दस टैंकर अभी भी खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं और दो ने अभी होर्मुज को पार कर खाड़ी क्षेत्र में प्रवेश किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी. श्री जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति से जुड़े सवालों के जवाब में कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से भारत आने वाले कुल 11 जहाजों ने होर्मुज को सुरक्षित पार किया है.

उन्होंने कहा कि भारतीय ध्वज वाले दस जहाज अभी भी खाड़ी क्षेत्र में फंसे हैं और उनके भी जल्द लौटने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि भारत के दो और जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर खाड़ी क्षेत्र में गये हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य में दोनों तरफ से जहाजों का आवागमन शुरू हो गया है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	54640142	होम लोन	27- मई-2026	3,19,491.43/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. राहुल पटेल 2. हवासीलाल पटेल 3. पदमा पटेल

संपत्ति का पताः प्रॉपर्टी 1: आबादी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा, कुल एरिया 612 वर्ग फीट, मालिकाना हक के साथ, ग्राम पंचायत डिमांड पंजी नंबर 91/1, आबादी खसरा नंबर 751 पर स्थित, गाँवः बोरगाँव खुर्द, पीएच नं. 99, तहसील और ज़िलाः खंडवा, मध्य प्रदेश-450001, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः बंशीलाल मनशाराम का घर, पश्चिमः अपना बचा हुआ घर, उत्तरः महेश रघुनाथ पटेल का घर, दक्षिणः तुकाराम चंपालाल का घर।

प्रॉपर्टी 2: आबादी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा, कुल एरिया 442 वर्ग फीट, मालिकाना हक के साथ, ग्राम पंचायत डिमांड पंजी नंबर 91/1, आबादी खसरा नंबर 751 पर स्थित, गाँवः बोरगाँव खुर्द, पीएच नं. 99, तहसील और ज़िलाः खंडवा, मध्य प्रदेश-450001, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः अपना प्लॉट, पश्चिमः सड़क, उत्तरः महेश रघुनाथ पटेल का घर, दक्षिणः तुकाराम चंपालाल का घर।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 24.06.2026
स्थान : मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

WONDER HOME FINANCE
Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारों द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.एन. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार '' वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 '' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रूपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13 (4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूची के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता/गारंटर का नाम एवं ऋण खाता संख्या	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) LN20062HE24-25027217, श्री भूपेन्द्र जाट पुत्र श्री पूनम चंद जाट (आवेदक एवं बंधककर्ता), श्रीमती माया जाट पत्नी श्री भूपेन्द्र जाट (सह-आवेदक एवं बंधककर्ता)	19 जून 26 Rs. 9,19,622.00 नौ लाख उन्नीस हजार छः सौ बाईस रुपए मात्र, 08-06-2026 तक	श्री भूपेन्द्र जाट पुत्र श्री पूनम चंद जाट एवं श्रीमती माया जाट पत्नी श्री भूपेन्द्र जाट की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 115, भवन पंजी नं. 38/2, वार्ड नं. 05, ग्राम बोदिना, तहसील एवं जिला रतलाम, मध्य प्रदेश - 457550, क्षेत्रफल लगभग 837.00 वर्ग फीट
(ऋण खाता संख्या) LN20040HP24-25020660, श्री जितेन्द्र वर्मन पुत्र श्री उमराव वर्मन (आवेदक एवं बंधककर्ता), श्रीमती खुशबू पत्नी श्री जितेन्द्र वर्मन (सह-आवेदक एवं बंधककर्ता)	19 जून 26 Rs. 6,94,621.00 छः लाख चौरानवे हजार छः सौ इक्कीस रुपए मात्र, 10-06-2026 तक	श्रीमती खुशबू पत्नी श्री जितेन्द्र वर्मन की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित पी.एच. नं. 58/116, वार्ड नं. 30, भूमि के भाग सर्वे नं. 312/2, प्लॉट नं. 04, ग्राम सुलावद, तहसील पीथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश - 454774, क्षेत्रफल लगभग 450.00 वर्ग फीट

दिनांकः 23-06-2026
स्थानः इन्दौर, मप्र
प्राधिकृत अधिकारी
वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नीचे उल्लेखित खसरा भूमि पर संस्था/कंपनी/व्यक्तियों को **आवासीय भूखण्डीय विकास (TREASURE MARKET CITY PHASE-4)** उपयोग की विकास अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखित स्थल पर विकास कार्यों पेटे निम्नानुसार भूखण्ड/ब्लॉक/प्रकोष्ठ धरोहर रखे गये हैं:-

क्रं.	कॉलोनी/संस्था का नाम	ग्राम व खसरा क्रमांक	विकास अनुमति जारी करने का क्रमांक व दिनांक	धरोहर भूखण्डों का विवरण
1	(1) इन्दौर ट्रेजर टाऊन प्रायवेट लिमिटेड, पंजीकृत पताः- उत्तर शॉप नंबर 155, वीणा मॉल, कांदिवली पूर्व, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मुम्बई (महाराष्ट्र) इंडिया 400101, स्थानीय पताः- छठी मंजिल, ट्रेजर आयलेण्ड, 11, तुकोगंज मेन रोड़, जिला इन्दौर (म.प्र.) तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री योगेश गोस्वामी पिता श्री राम मनोहर गोस्वामी, निवासी 201, वैभव अपार्टमेन्ट, अमितेश नगर, स्कीम नंबर 59, जिला इन्दौर (म.प्र.) 452012, (2) एन्टरटेन्मेन्ट वर्ल्ड डेवलपर्स बिजलपुर प्रायवेट लिमिटेड, पंजीकृत पताः- उत्तर शॉप नंबर 155, वीणा मॉल, कांदिवली पूर्व, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मुम्बई (महाराष्ट्र) इंडिया 400101, स्थानीय पताः- छठी मंजिल, ट्रेजर आयलेण्ड, 11, तुकोगंज मेन रोड़, जिला इन्दौर (म.प्र.) तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय कुमार जैन पिता श्री महावीर कुमार जैन, निवासीः-22-बी, अशोक नगर, जिला इन्दौर (म.प्र.) 452001 तर्फे विकासकर्ता इन्दौर ट्रेजर टाऊन प्रायवेट लिमिटेड, पंजीकृत पताः- उत्तर शॉप नंबर 155, वीणा मॉल, कांदिवली पूर्व, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मुम्बई (महाराष्ट्र) इंडिया 400101, स्थानीय प्रताः- छठी मंजिल, ट्रेजर आयलेण्ड, 11, तुकोगंज मेन रोड़, जिला इन्दौर (म.प्र.) तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री योगेश गोस्वामी पिता श्री राम मनोहर गोस्वामी, निवासीः- 201, वैभव अपार्टमेन्ट, अमितेश नगर, स्कीम नंबर 59, जिला इन्दौर (म.प्र.) 452012	ग्राम बिजलपुर, तहसील राऊ, जिला इन्दौर स्थित खसरा क्रमांक 877/1, 877/2/2, 878/1, 878/2, 885 (शामिल खसरा 887/2 रकबा 0.162 हेक्टेयर), 887/1/1, 888, 919/1/1, 919/1/2/2, 919/2/2 कुल रकबा 7.847 हेक्टेयर (78470.00 वर्गमीटर) में से 4.2210 हेक्टेयर में से नेट स्कीम एन्रिया 38032.72 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास (TREASURE MARKET CITY PHASE 4) उपयोग की विकास अनुमति बाबद्।	पत्र क्रमांक 1773/कॉलोनी सेल/2026 दिनांक 02/06/2026	विकास लागत के 125 प्रतिशत के मान से धरोहर पेटे अभिन्यास में लाल रंग से अंकित सदर स्थल के भूखण्ड क्रमांक ए-12, ए-31, ए-42, ए-43, ए-44, ए-45, ए-46, ए-47, ए-52, ए-54, बी-66, इस प्रकार कुल 11 भूखण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल 1610.04 वर्गमीटर (17324 वर्गफीट) को गिरवीनामा ई-पंजीकरण संख्या (रजिस्ट्रेशन नंबर) MP7IGR17512026A100532958 ऑनलाईन दिनांक 06/05/2026 से धरोहर के रूप में बंधक (गिरवी) रखा गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्डों/प्रकोष्ठों का क्रय-विक्रय नहीं किया जावे अन्यथा की स्थिति में निगम जवाबदेह नहीं होगा।

आज्ञा से
आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (डॉ. रिकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.)
(प्रशासनिक संकल्प क्रमांक.- जी 11)

क्रमांक 327/अकरी/2026 — इंदौर दिनांक 16/06/2026
प्रकरण क्र./115/ब-121/2026-27

पेपर विज्ञापन

प्रति.
1. **श्री वीरेन्द्र पिता श्री नंदलाल**
पता 1-415. न्यू गोविंद कॉलोनी नीलेश स्कूल गायत्री किराना के पास, पी.ओ. इण्डस्ट्रीयल एस्टेट इंदौर मध्य प्रदेश 452015 **पता 2-** फ्लैट नंबर 102, प्रथम मंजिल, सनराइज ट्विन्स, ब्लॉक बी, प्लेट नंबर 26. श्री कृष्णा एवेन्यू फेस-3 ग्राम लिम्बोदी तहसील जिला इंदौर म.प्र. 452001 **पता 3-** जय श्री खाटू श्याम फर्नीचर 415, न्यू गोविंद कॉलोनी नीलेश स्कूल, गायत्री किराना के पास इंदौर मध्य प्रदेश 452015
2. **श्रीमती विद्या देवी पति प्रति श्री नंदलाल** ...सहऋणी
पता 1- बडहर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश 209209 **पता 2-** फ्लेट नंबर 102, प्रथम मंजिल, सनराइज ट्विन्स, ब्लॉक बी, प्लेट नंबर 26. श्री कृष्णा एवेन्यू फेस-3 ग्राम लिम्बोदी तहसील जिला इंदौर म.प्र. 452001
3. **श्री राहुल मारोटिया पिता राकेश मारोटिया** ...सहऋणी
पता - ए-15, प्रकोष्ठ क्रमांक 701. पलास परिसर पेस-2, राउ इंदौर मध्य प्रदेश **पता 2-** फ्लेट नंबर 102. प्रथम मंजिल, सनराइज ट्विन्स, ब्लॉक बी, प्लेट नंबर 26. श्री कृष्णा एवेन्यू फेस-3 ग्राम लिम्बोदी तहसील जिला इंदौर (म.प्र.)

द्वारा:- पेपर प्रकाशन।

--00--

प्राधिकृत अधिकारी, टाटा केपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि., तर्फे प्राधिकृत अधिकारी ब्रांच ऑफिस- तीसरी मंजिल, यूनिट नंबर 301. एन.आर. के. टेक पार्क, प्लेट नंबर 9/सी/सीए, स्कीम नंबर 94, रिंग रोड, रेडिशन चौराहा के पास, इंदौर मध्य प्रदेश 452010, द्वारा आवेदन कर निवेदन किया गया हैं कि **बंधक संपत्ति का पता प्रकोष्ठ क्रमांक 102, प्रथम मंजिल, सनराइज ट्विन्स, ब्लॉक बी, प्लेट नंबर 26. श्री कृष्णा एवेन्यू फेस-3 ग्राम लिम्बोदी तहसील जिला इंदौर म.प्र. 452001** पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूमि संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।
अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी-11 में **दिनांक 25.06.2026 को दोपहर 03:00 बजे** होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

FORM No.
[See Regulation 33(2)]
BY Regd. A/D, Dasti failing which by Publication.
OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR
(2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan (BSNL Building), Near Head Post Office, Residency Road, Jabalpur -482001 MP
NOTICE FOR SETTING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993.

RC/247/2019 — **15-06-2026**

CENTRAL BANK OF INDIA
Versus
NILESH SINGH CHAUHAN

TO
(CD1) NILESH SINGH CHAUHAN
37/38, JOSHI COLONY, INDORE (M.P.)-452001
(CD2) CHARANDEEP CHOUHAN
37/38, JOSHI COLONY, INDORE (M.P.)-452001-452001

Whereas you the **NILESH SINGH CHAUHAN** was ordered by the Presiding Officer of DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR who had issued the Recovery Certificate dated **18/02/2019 in OA/392/2018** to pay to the Applicant Bank(s)/Financial Institution(s) Name of applicant, the sum of **Rs. 2935283.00 (Rupees Twenty Nine Lakhs Thirty Five Thousands Two Hundred Eighty Three Only)** along with pendentellite and future interest @ 9.50 % Simple Interest Yearly w.e.f. **02/04/2018** till realization and costs of **Rs 32000 (Rupees Thirty Two Thousands Only)**, and whereas the said has not been paid, the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable / Immoveable property.

2. You are hereby informed that the **03/08/2026 at 10.30 A.M.** has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances, charges, claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.

Specification of property
Flat No. 703, at Seventh Floor, "Rajkamal Tower", constructed on Plot No. 7A, 8A, 18A & 19A, situated at Udhyog Nagar Colony, Anaj Mandi Gate, Indore (M.P.), Area Admeasuring 1010 Sq.Ft., property in the name of Shri Nilesh Singh Chauhan S/o Shri Karan Singh Chauhan and Smt. Charandeep Chauhan w/o Shri Nilesh Singh Chauhan

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **15/06/2026**

SEAL
Recovery Officer,
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR

न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़
द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, भारत संचार निगम लिमिटेड बिल्डिंग, प्रधान डाकघर के पास, सिविल लाईंस, जबलपुर म.प्र. 482001
(ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रक्रिया) की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2ए के साथ पढ़ा जाए।
मूल आवेदन संख्या: 345/2025

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया — आवेदक
विरुद्ध
मश्रिका प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य — अनावेदकगण

प्रति,
(1) मश्रिका प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस : 726, 201, बजाज टॉवर, उषा नगर, इंदौर, म.प्र.
(2) कु. जागरानी देवी पुत्री श्री लाल सिंह
पता: 44/ए, सूर्य देव नगर, राजेन्द्र नगर, इंदौर, म.प्र.
(3) श्रीमती राधा देवी सिंह पति जगदीप सिंह
पता: 44/ए, सूर्य देव नगर, राजेन्द्र नगर, इंदौर, म.प्र.

जबकि **ओ.ए. संख्या 345/2025** को माननीय पीठासीन अधिकारी केसमक्ष दिनांक **22/05/2025** को सूचीबद्ध किया गया था।
जबकि माननीय न्यायाधिकरण को उक्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत समन/सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। यह ओ.ए. आपके विरुद्ध मात्र **91,56,517.00/-** रुपये की ऋण वसूली केलिये दायर किया गया है।
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के अनुसार, आप अनावेदकों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं कि:
1. समन की तामील होने के 30 दिनों केभीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
2. मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट संपत्तियों और परिसंपत्तियों केअलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करें।
3. संपत्तियों की कुर्की केआवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेनदेन करने या उनका निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
4. आप अधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अलावा बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित सृजित है और/या मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भी हस्तांतरण नहीं करेंगे।
5. आप सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त विक्रय राशि का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी विक्रय राशि को उन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक में रखे गये खाते में जमा करेंगे।
6. आप आवेदन की दो प्रतियाँ सहित लिखित बयान दाखिल करने और **02/11/2026 को सुबह 10:30** बजे जबलपुर स्थित माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय लिया जायेगा।
इस न्यायाधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के तहत दिनांक **27.05.2026** को जारी किया गया।

SEAL
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकारी, जबलपुर म.प्र.

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक, कालानी नगर शाखा :
शॉप नं.2, ब्लॉक-ए, सीता श्री रेसीडेंसी, एयरपोर्ट रोड़, कालानी नगर, इंदौर (म.प्र.)

विक्रय सूचना का प्रकाशन (ई-नीलामी द्वारा)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/ 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रुप से निम्न उल्लेखित ऋणी एवं जमानतदार को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / प्रभारित की गई है, जिसका **सांकेतिक कब्जा** इंडियन बैंक (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसे संपत्ति के ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार से इंडियन बैंक,सुरक्षित लेनदार को देय निम्न उल्लेखित राशि की वसूली हेतु **27.07.2026** को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर विक्रय किया जाएगा।
ई-नीलामी मोड के माध्यम से ब्रिकी के लिए रखी जाने वाली संपत्ति का विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है:

क्रं.	ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार	संपत्ति का विस्तृत विवरण	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / सुरक्षित ऋण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली बढ़ाने की राशि
1.	**श्री विजय खुरैया पिता श्री चतुर्भुज खुरैया** (ऋणी/बंधककर्ता) **पता 1:** 1828, 111 नंबर के पास, सरकारी स्कूल, भागीरथपुरा, इंदौर-452003	संपत्ति का समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, रहवासी संपत्ति निर्मित **खसरा नं. 104, मकान नं. 532 (उत्तर भाग), (पुराना नं. 08), पुरानी बस्ती, भागीरथपुरा, इंदौर (म.प्र.)** **क्षेत्रफल : 750 वर्गफीट**	09.02.2026 / 14.05.2026 / Rs.19,70,668/- as on 18.06.2026	Rs. 32,07,000/- / Rs. 3,20,700/-
2.	**श्री रघुनाथ खुरैया पिता श्री चतुर्भुज खुरैया** (ऋणी/बंधककर्ता) **पता 1:** 549, 111 नंबर के पास, सरकारी स्कूल, भागीरथपुरा, इंदौर-452003 **दोनों का पता 2:** 532, भागीरथपुरा, 111 नंबर के पास, सरकारी स्कूल, भागीरथपुरा, इंदौर-452003 **शाखा:** कालानी नगर शाखा	**चर्तुसीमा:** पूर्वः रोड, पश्चिमः गली, उत्